P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय संस्कृति में महिला सशक्तिकरण के विविध उपकरण

सारांश

किसी भी समाज व संस्कृति में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण साधन 'परीक्षा' होती है, शिक्षा के माध्यम से असभ्य समाज भी सभ्य बन जाता है। इसी प्रकार महिलाएँ यदि अत्याचार और शोषण से बाहर आना चाहे तो बहुत से साधन है, जिन्हें उपायरूप में अपनाकर वे अपने जीवन को निराशा और संकट से उबारकर अपनी जिंदगी को नई दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है। आज का युग विज्ञान और मीड़िया का युग है जिसमें व्यवहारपरक ज्ञान द्वारा वह इंटरनेट माध्यम से अपनी कायाकल्प कर सकती है। आवश्यकता है नई सकारात्मक सोच, दृढ़ विश्वास के साथ विकसित करने की तभी नई जमीन, नया आसमान होगा।

पुष्पा
व्याख्याता,
संस्कृत विभाग,
गौरी देवी राज. महिला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान, भारत

मुख्य शब्द : नारी शक्ति, शिक्षा, सभ्य समाज, परिवर्तन।

प्रस्तावना

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमो नमः।।

उपरोक्त श्लोक में नारी को शक्ति रूप में चित्रित कर समस्त प्राणी जगत का आधार बताकर वंदन किया है। भारत एक पुरूष प्रधान समाज है और 'स्त्री' को पुरूष की सहचरी रूप में भी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती को जगत का मूल स्वीकारते हुए शक्ति का प्रतीक रूप में पूजन किया जाता है। भारतीय संस्कृति के आधारक वेद माने जाते हैं। भारतीय संस्कृति में 'वेद' बहुत प्राचीन है। वेदकालीन समाज की यदि बात करे तो हम पाते हैं कि वेदकालीन नारी स्थिति सुदृढ़ व सम्मानजनक थी। स्त्रियों में बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार की कला व युद्ध कौशल की शिक्षा ग्रहण करने की अधिकारिणी होती थी। समाज में दोनों का ही स्थान समान रूप से महत्वपूर्ण था। पितृसत्तात्मक समाज होने से पुत्र को वरीयता दी गई थी और यत्र–तत्र पुत्र कामना का वर्णन भी मिलता है। अविवाहित कुँवारी कन्या का अपने पिता की सम्पत्ति पर अधिकार होता था। अथर्वेदकालीन नारी वैदुष्य एवं शौर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसे कुलपा प्रतारणी शिवा, सुमंगली, उद्विदन्ती, संजयंती जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया। अर्थवेद में वर्णित अम्भृणी, वाक् ऊषा, सरस्वती व इन्द्राणी आदि देवियाँ, विदुषी व वीर नारियों का प्रतीक थी। तत्कालीन समाज और संस्कृति की स्त्रियों ने अपनी विद्वत्तता व शौर्य के बल पर समाज में सम्मानपूर्ण स्थान पाया। मुसलमान आक्रमण होने पर भारत में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को भोग विलास की सामग्री रूप में माना गया। बहु–पत्नि विवाह का भी प्रचलन बढ़ने लगा।

रामायण काल में हमें यह ज्ञात है कि सीता की अनुपस्थिति में श्रीराम ने याज्ञिक अवसर पर सीता के स्थान पर उनकी सुवर्ण प्रतिमा को स्थापित करवाया। इससे धार्मिक क्रियाओं में स्त्रियों की समान सहभागिता का दिग्दर्शन होता है। उसके उपरांत महाभारतकाल में भार्या को मनुष्य का आधा भाग स्वीकार किया है, भार्या श्रेष्ठ सखी, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का मूल है यथा–

अर्द्ध भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा।
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूलं तरिष्यतः।।

(महाभारत आदिपर्व 74/41)

गृहस्थ जीवन की मूलमन्त्र नारी है, नारी ग्रह प्रशासिका है :–

यथा सिन्धुर्नदोनी साम्राज्य सुषुवेवृषा।
एवा त्वां साम्राज्येधि पत्युरस्ते परेत्य।।

(अथर्ववेद 14–1–43)

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

इसी प्रकार 'मनु' ने नारी तिरस्कार करने वाले समाज की समस्त क्रियाओं को निष्फल बताते हुए उद्घोष किया हैः–

''यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः।''

(मनुस्मृति 3/6)

व्यास स्मृति में स्त्री को सर्वदा पूर्ण बताया है वह आधे शरीर से पति और आधे शरीर से पत्नी होती है। (व्यास स्मृति 2/13)।

कहने का अभिप्राय यह है कि पुरूष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है। दोनों में से एक के भी अभाव में सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे मान्नीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहा था कि ''देश की तरक्की के लिए पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना है।'' सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, अपने विषय में निर्णय लेने में समर्थता व स्वतंत्रता, अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस, आत्मविश्वास, जागरूकता, अपने अस्तित्व की पहचान इत्यादि सम्मिलित है। दूसरों शब्दों में सशक्तिकरण एक अनुभूति है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति को मानसिक ऊर्जा मिलती है ओर मानव अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए सफल होता है। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमारा उद्देश्य महिलाओं और पुरूषों में प्रतिस्पर्धा करना नहीं है अपितु दोनों को समता के धरातल पर अवतिष्ठित करना है। महिला और पुरूष सृष्टि की दो महत्वपूर्ण रचना है परन्तु भारतीय समाज में पुरूष की अपेक्षा स्त्री को कहीं न कहीं हीन दृष्टि से देखा व आँका जाता था। अतः समय के परिवर्तन से 'महिला सशक्तिकरण' का विचार जोर–शोर से चहुँ ओर विस्तृत होने लगा। परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बलवती हुई। महिलाओं की स्थिति को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ उपकरण अथवा साधन महत्वपूर्ण सिद्ध हुए जिसमें से कुछ उपकरण निम्न रूपेण हैः यथा –

शिक्षा

वेदों के छः अंगों में से एक है – 'शिक्षा' वेद के छः अंग बताए हैं वह है – शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरूक्त, ज्योतिष और छन्द। शिक्षा को वेद रूपी पुरूष के 'नेत्र' बताया गया है।

शिक्षा शब्द श्वास धातु से निष्पन्न शब्द है जिसका अभिप्राय है शासन करना, बताना अथवा व्याख्या करना। शिक्षा वह माध्यम है जो बड़े–बड़े परिवर्तन करने में समर्थ है। भारत के इतिहास पर दृष्टि डाले तो हम पाते हैं कि जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सकारात्मक परिवर्तन आये हैं उसमें शिक्षा की भूमिका अविस्मरणीय है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण में भी शिक्षा की भूमिका अतीव उपयोगी है। यह शिक्षा औषधी तुल्य संजीवनी की भाँति महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करती है। शिक्षा वह अधिकार है जो जीवन की दिशा व दशा में, 'मील का पत्थर' बनकर, बिना हिंसा के ही सकारात्मक परिवर्तन लाने में समर्थ है क्योंकि राष्ट्रीय विकास की धारा में भागीदारी करने के लिए व्यक्ति का शिक्षित और जागरूक होना परम आवश्यक है। हमारे देश के संविधान की धारा 45 में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निदेशक सिद्धांत घोषित किया गया है जिसमे बताया है कि देश में संविधान लागू होने के समय से 10 वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।

शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य महिलाओं को स्वावलंबी बनाना ही नहीं नौकरी पेशा बनाना ही नहीं, ऊँचा पद हासिल करना ही नहीं अपितु शिक्षा द्वारा समाज की विकृत मानसिकता का परिमार्जन व शुद्धिकरण करना तथा स्त्री को सम्मानजनक पद पर प्रतिष्ठित करना है। शिक्षा द्वारा रोजगार के नये अवसर तलाशने के अतिरिक्त निम्न उद्देश्य भी है :–

1. महिलाओं में आत्म सम्मान व आत्म विश्वास की भावना उत्पन्न करना।
2. महिलाओं में निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना।
3. महिलाओं में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना।
4. महिलाओं के कर्तव्यों के साथ–साथ अधिकारों की भी पूर्व जानकारी देना।
5. अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत का विकास।
6. सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में सहभागिता को बढ़ावा

लोगों में जनचेतना व सरकारी प्रयासों द्वारा आज हम देखते हैं कि महिलाओं की साक्षरतादर में वृद्धि आई है। शहरों में तो अपेक्षाकृत महिला साक्षरता की दर अधिक थी परन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गाँवों में भी महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी देशों में एवं सभी स्तरों पर प्रयास किये जा रहे हैं जिसका सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहा है क्योंकि शिक्षा और विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। साक्षरता किसी भी देश के सामाजिक व आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण पहलू होता है। अतः महिला शिक्षा के अधिकाधिक अवसरों का सृजन तथा उन अवसरों द्वारा लाभान्वित करना ही महिला सशक्तिकरण हेतु अनिवार्य कदम है।

विविध सरकारी योजनाएँ

महिलाओं के समुचित विकास के लिए सरकारी योजनाओं, महिलाओं के अधिकारों के माध्यम से लगातार महिलाओं की स्थिति में सुधार हो रहा है तभी तो 21वीं शताब्दी की महिला शताब्दी के नाम से पुकारा जाता है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास चाहे वह आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक विकास हो सभी के लिए महिला आगे आकर अपने अधिकारों के प्रति अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। भारत में बालविवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, दहेज प्रथा, तलाक, बेमेल विवाह, बहु विवाह, अन्तर्जातीय विवाह का अभाव, पर्दा प्रथा, वैश्यावृत्ति, शैक्षणिक, आर्थिक समस्याएँ इत्यादि भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाएँ इन सभी को नकार कर खारिज़ कर दिया है परन्तु आज भी समाज में 'पुत्रमोह' व्याप्त है पुत्री की तुलना में पुत्र लालसा इस ओर स्पष्ट संकेत है कि अभी भी समाज में पुरूषों के बराबर स्त्री को स्थान

नहीं प्राप्त हुआ है। आज हम भले ही महिला शिक्षा की ओर जाग्रत हुए हैं परन्तु आज भी महिला भोग की वस्तुरूप में ही समझी जाती है इसका ज्वलंत दृष्टांत रामरहीम हैं जिसने साध्वी को भी नहीं बक्शा, निर्भया काण्ड मानवता को शर्मसार करने वाली असंख्य घटनाएँ प्रतिदिन हो रही है। ऐसे घिनौने अपराध हमारी मानवता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं क्या हम सीता, झाँसी की रानी, अहिल्या, मीरा, वैदिक स्त्रियाँ घोषा, अपाला, मैत्रेयी, देवयानी इत्यादि हमारी पूज्यनीय देवियाँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, गायत्री इत्यादि को पूरी तरह विस्मृत कर बैठे हैं का ?

किसी भी समाज के विकास का सीधा सम्बन्ध उस समाज की महिलाओं के विकास से जुड़ा होता है। महिलाओं के विकास के बिना व्यक्ति परिवार और समाज की कल्पना नहीं कर सकते। एक महिला दो परिवारों के बीच कड़ी का कार्य कर दो परिवारों को शिक्षित कर संस्कारों को आधान करने के दायित्व को पूरी जिम्मेदारी से वहन करती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने भी महिलाओं के विकास व आत्मचेतना की जाग्रति हेतु महिलाओं के लिए निम्न योजनाएँ प्रारंभ की।

भामाशाह योजना

राजस्थान सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुँचाने के लिए 15 अगस्त, 2014 से भामाशाह योजना की शुरूआत की। जिसमें परिवार की महिला को मुखिया बनाकर परिवार के बैंक खाते उनके नाम से खोले गये जिसमें सरकारी नकदी लाभ जैसे – पेंशन, नरेगा, छात्रवृत्ति, जननी सुरक्षा आदि सरकार उनके खाते में पहुँचा रही है। राजस्थान भारत का पहला राज्य है जहाँ महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया है। इस योजना में लाभार्थी को रूपे कार्ड की सुविधा दी जाती है जिसमें वह नजदीकी बी.सी. केन्द्र में प्रयोग कर आसानी से पैसे निकाल सकती है। राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान में 25,000 बी.सी. स्थापित किये हैं। 15,000 और नये बी.सी. स्थापित करने है। भामाशाह योजना से सरकारी योजनाओं का पूरा नकद लाभ बिना समय नष्ट किये, बिना परेशानी के, सीधे महिलाओं के बैंक खातों में हस्तान्तरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त गैर नकद लाभ जैसे – राशन वितरण भी अब बायोमैट्रिक पहचान द्वारा पात्र व्यक्तियों को दिया जा रहा है। इस भामाशाह योजना से भविष्य में आने वाली योजनाओं को भी जोड़ा जायेगा जिससे की आम लोग विशेषकर महिलाएँ अधिकाधिक लाभान्वित हो सके।

इसके अतिरिक्त नामांकित सभी बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अन्त्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खाते में सहायता राशि के रूप में एक बार 2000/– एकमुश्त जमा करवाये जाते हैं। भामाशाह योजना महिला सशक्तिकरण का सशक्त उपकरण सिद्ध हो रहा है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

(BBBP) महिला एवं बाल एवं विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मन्त्रालय एवं मानव संसाधन विकास की संयुक्त पहल के रूप में बालिकाओं की स्थिति को सुधारने व सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों में प्रारंभ किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ न केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अपितु बेटियों की रक्षा के लिए शुरू किया गया है। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने बजट में 100 करोड़ की शुरूआती राशि की घोषणा इस योजना के लिए की है। बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण, शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। जिससे गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और लोग बालक की ही भाँति बालिका को भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजे। शिक्षित होकर वह अपना और परिवार का, समाज का कल्याण कर सकती है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना

यह एक बैंक खाता है जो 10 वर्ष से कम उम्र की बेटियों के लिए शुरू किया गया है। यह अकाउंट/खाता 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य कर बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करता है।

राजीव गाँधी योजना (सबल)

केन्द्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 2011 से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के 200 जिलों से चयनित 11–18 आयु वर्ग की किशोरियों की देखभाल 'समेकित बाल विकास परियोजना' के अन्तर्गत की जाती है। जिसमें 11–15 वर्ष तक की बालिकाओं को पका हुआ खाना दिया जाता है और 15–18 वर्ष की बालिकाओं को आयरन की गोलियाँ सहित अन्य दवाइयाँ भी दी जाती है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना

यह मातृत्व लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर, 2010 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले ही बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर देखभाल के लिए 6000/– की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना

इस योजना का प्रारंभ 2004 में किया गया। जिसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत केन्द्र व राज्य सरकार खर्च करेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से निम्न परिवार की बालिकाओं को शिक्षा के लिए सुलभ मार्ग उपलब्ध करवाना है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1 मई, 2016 को किया जिसमें गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देना है। जिसके माध्यम से पर्यावरण को स्वास्थ्यवर्धक बनाने में महिलाओं की भूमिका अहम होगी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने के लिए जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के प्रयोग को बढ़ाकर महिलाओं के लिए स्वाधार घर योजना – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से योजना 2001–02 को शुरू हुई जिसमें वैश्यावृत्ति से युक्त महिलाएँ, रिहा कैदी

महिलाएँ, विधवाएँ, मानसिक रूप से विकलांग, बेसहारा, तस्करी से पीडित महिलाओं के पुनर्वास की व्यवस्था कर नये तरीके से जीवन की शुरूआत करने के लिए शारीरिक व मानसिक संबल प्रदान किया जाता है जिससे वे आत्मनिर्भर बन कर देश के विकास में सहयोग करने में समर्थ हो सके। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम (STEP) 1986–87 में केन्द्रीय योजना रूप में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारम्भ किया। महिलाओं में कौशल की विकसित कर आत्मनिर्भर बनाने की भावना से प्रेरित योजना महिलाओं की स्व रोजगार या उद्यमी बनाने का हुनर सिखाती है। जिसमें महिला विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों को सीखकर स्वयं का उद्योग स्थापित करने की दिशा में प्रयास करे। इसी प्रकार सरकार विधवाओं के खाते में प्रत्येक महीना 3000/– रूपये डालकर उनके गुजर–बसर में मदद करती है।

महिलाओं के अधिकार

भारत में महिला मानवाधिकारी को मूल अधिकारों के साथ जोड़ा गया। भारत की महिलाओं को अनेकानेक कानूनी व्यवस्थाओं द्वारा उनके अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने उन्हें शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने व संवैधानिक अधिकारों की क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 1990 में संसद द्वारा महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया। भारत में 1992 में राष्ट्रीय महिला अधिकार आयोग का गठन किया गया। 1979 में एक अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रीय समझौता आमसभा द्वारा अपनाया गया जिसे "महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन उद्घोषणा" नाम से जाना जाता है। इसके अन्दर प्रस्तावना व 30 धाराएँ है। यह समझौता विश्वव्यापी मानव अधिकार दस्तावेजों में सबसे आधुनिक है। विश्व में 1990 से 2000 का दशक 'महिला दशक' के रूप में मनाया जाता है। इसी दिशा में प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 1975 में मैक्सिको में हुआ। महिला सबलीकरण हेतु सम्पूर्ण विश्व में 8 मार्च 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में प्रति वर्ष मनाया जाता है। महिलाओं की स्थिति के सुदृढीकरण के लिए भारतीय संविधान में महिलाओं के हितों की सुरक्षा हेतु कुछ अधिकारों का प्रावधान किया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39, 42, 51, 325, 326, 16, 21, 23 महिलाओं की सुरक्षा व हितों से सुरक्षित है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए कुछ अधिनियम जैसे – सती प्रथा निषेध अधिनियम 1829, सती प्रथा निवारण अनिधियम 1987, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, हिन्दू स्त्रियों का सम्पत्ति अधिनियम 1956, दहेज निवारण अधिनियम 1961, संविधान संशोधन 73, 74 के द्वारा कानूनी रूप से महिलाओं को मजबूती प्रदान की गई है।

मीडिया

वर्तमान समय में मीडिया के अभाव में जीवन की कल्पना अर्थहीन लगती है। आज मीडिया ने जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर रखा है। महिला उत्थान में भी मीडिया की भूमिका सराहनीय है क्योंकि यदि मीडिया इतना सशक्त माध्यम नहीं होती तो महिलाओं की भी भारत में इतनी उन्नति शायद न होती। यदि हम बात करें टेलीविजन की, तो शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जिस पर महिला की उपस्थिति दर्ज न हो। समाचार वाचक, उद्घोषिका, कार्यक्रम संचालिका, प्रेस रिपोर्टर, पाक कला सिखाती हुई, विविध प्रकार के सामान बेचती हुई तथा विविध किरदारों में सजीव व सटीक रूप से अभिनय करती हुई विविध रूपों में महिला दृष्टिगोचर होती है। विभिन्न विज्ञापनों में भी महिला की उपस्थिति उस अमुक वस्तु के प्रति सकारात्मकता को उत्पन्न करती है। यदि हम कल्पना करें की बिना महिला के टेलीविजन, ऐसा फीका सा लगेगा जैसे स्वादिष्ट व्यंजन बिना नमक के बेस्वाद लगते हैं। उसी प्रकार महिला भी अपनी कोमलता, सुन्दरता, मीठी आवाज से सबको अपनी ओर आकर्षिक करती है। महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण साधन है – मीडिया, क्योंकि मीडिया द्वारा लोगों में स्त्री शिक्षा के प्रति जनचेतना का अलख जगी है। आज मीडिया चाहे समाचार पत्र–पत्रिकाएँ, किताबें या इलैक्ट्रोनिक मीडिया जिसमें टेलीविजन, रेडियो, इन्टरनेट इत्यादि शामिल है, द्वारा लोगों में चेतना का संचार तीव्रगामी व प्रभावशाली तरीके से हुआ है। लोगों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि बेटियों को शिक्षित करने में अनेक फायदे है इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में महिला साक्षरता के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी हुई है।

मीडिया द्वारा महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हुई है। लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है। आज लोग अपनी विकृत मानसिकता, अंधविश्वास को छोड़कर महिला उत्थान की दिशा में प्रयासरत हो रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का नौकरी या व्यवसाय कर धर्नाजन करना शर्मनाक नहीं अपितु सम्मानजनक माना जाता है। महिलाएँ भी मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाई है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मुसलमान महिलाओं की तीन तलाक की कुप्रथा से निजात मिली है और गुलाबी गैंग की महिलाओं ने समाज के लिए कलंक स्वरूप शराब खोरी पर प्रतिबंध लगाया स्वयं के प्रयास द्वारा ही शराब बनाने के ठिकानों पर धावा बोलकर उन्हें बंद कराया है। इसी प्रकार निर्भया काण्ड के बाद ऐसे दुष्कर्म के मामले में तुरन्त सुनवाई व फैसला सुनाने का निर्णय अपने आप में मील का पत्थर है। महिलाओं का शोषण पहले भी होता था और आज भी लगातार हो रहा है परन्तु पहले महिलाएँ लोकलाज के कारण बताती नहीं थी परन्तु मीडिया ने ऐसी महिलाओं को शब्दों की ताकत की, उनके अधिकारों से उन्हें रूबरू कराया। मीडिया द्वारा महिलाएँ चाहे किसी भी वर्ग या समाज की ही उन्हें यह अच्छी तरह ज्ञात हो गया है कि महिलाएँ सामान नहीं है इंसान है। यदि उनके साथ अत्याचार होता है तो उन्हें चुप रहकर या सहकर नहीं अपितु अपनी बात सबके सामने रखनी होगी, सरेआम दोषी के चेहरे पर से शराफत का मुखौटा उतारकर दण्ड दिलाना होगा तभी इंसाफ होगा। क्योंकि महिला भी पुरूष के सामान है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ स्त्री और पुरूष को एक समान

आधिकार प्राप्त है। कानून की नजरों में दोनों बराबर है। यह संभव हो पाया है मीडिया की ही बदौलत।

महिलाओं के प्रति समाज में व्याप्त कुप्रथाओं का निवारण भी मीडिया द्वारा लाकर महिला सशक्तिकरण को संबल प्रदान करवाया है यथा – सती प्रथा, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, देह व्यापार, बाल विवाह, बहु विवाह, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि। अभी हाल ही में महिला को डायन बताकर पीट–पीटकर जान से मार दिया उसे अंधविश्वासी लोग डायन ही समझते रहते परन्तु मीडिया द्वारा ही यह चेतना जाग्रत कर प्रसारित की गई कि आज के वैज्ञानिक युग में कोई महिला डायन कैसे हो सकती है ? मीडिया द्वारा 'राम रहीम' को दोषी करार देने, सजा सुनाने, जेल जाने, जेल में किये जाने वाले कार्य व दिनचर्या का पूरा ब्यौरा टी.वी. के विविध चैनल्स द्वारा प्रसारित कर लोगों को बताया कि यदि महिला के साथ अनैतिक कृत्य होगा तो सजा तो अवश्य मिलेगी, चाहे दोषी कितना भी बड़ा, रसूख रखता हो।

मीडिया की ही बदौलत आज महिलाओं की सामाजिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक, राजनैतिक उन्नति हुई है। मीडिया महिलाओं हेतु एक शिक्षक उपदेशक, पथ प्रदर्शक व भविष्य वक्ता की भूमिका वहन करता है। राजनीति के क्षेत्र में भी महिलाएँ आज सफल है यथा – वसुन्धरा राजे, मायावती, सुषमा स्वराज, राबड़ी देवी, सोनिया गाँधी इत्यादि। आज जब महिलाएँ स्वावलंबी होकर धनार्जन कर रही है तो परिवार, समाज व देश में उनकी इज्जत बढ़ी है और वह घर की भी भाँति देश की भी महत्वपूर्ण नागरिक के रूप में स्वीकार की जाने लगी है। खेल जगत में, मनोरंजन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में उसमें अपनी प्रतिभागिता संसार में प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। ऐसे दृष्टांत नकारात्मकता की ओर अग्रसर करते हैं जबकि दूसरी ओर समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने वाली किरण बेदी, सायना नेहवाल, सीता–गीता पहलवान, इंदिरा गांधी, पी.टी. ऊषा, मदर टेरेसा, सानिया मिर्जा, पी.वी. संधु इत्यादि का जब नाम आता है हमारे देश की हजारो–लाखों बेटियाँ इनसे प्रेरणा पाकर सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर कुछ करने का सपना साकार करती है। अतः हमें समाज व देश के विकास के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाले पहलू को समाज का अभिन्न अंग बनाने की ओर सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके लिए हमें बालपन से ही बच्चों में स्त्री सम्मान की शिक्षा देनी होगी। उनकी नींव ऐसे डाले जिसमें स्त्री–पुरूष बराबर है। कोई भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर भेदभाव गलत है, ठीक नहीं है। बच्चों को बचपन से ही नारी की इज्जत करने की शिक्षा देनी चाहिए, न कि यह की ''भारत एक पुरूष प्रधान देश है, जहाँ नारी उसकी गुलाम' ऐसी विकृत मानसिकता का बीज़ हमें नहीं बोना है। स्त्री सम्मान की शिक्षा की नींव घर से ही पड़नी चाहिए। केवल हम थोथे शब्द ही नहीं अपितु व्यवहारिकता से भी समझाएँ, परिवार में बेटा–बेटी के प्रति भेदभाव के रवैये को त्यागकर दोनों को सम्मान, धरातल पर स्नेह, शिक्षा व संस्कार प्रदान करें जिससे वे देश के उपयोगी नागरिक बनकर महिलाओं के विकास में पूर्ण सहयोग करें। जहाँ महिला पुरूष के सहचर्य से सृष्टि कार्य करती है वहीं दूसरी ओर पुरूष उसका शोषण करता है। अतः हमें मानसिकता विकृतियों को दूर भगाकर महिला सशक्तिकरण में सहयोग प्रदान करना है। ऐसी सोच पुरूषों को विकसित करनी होगी कि पुरूष और महिला बराबर है। अतः व्यवहार में भी उसे बराबर का दर्जा देते हुए भावनात्मक रूप से उसके मनोबल में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण कार्य पुरूष ही कर सकता है तभी समाज और देश की तस्वीर बदलेगी।

सरकारी बैंकों में महिलाओं के लिये योजनाएँ

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है, भारत में महिला बैंक की स्थापना, भारत में पहला महिला बैंक 19 नवम्बर, 2013 में मुम्बई में स्थापित किया गया। जिसकी सात शाखाएँ – मुम्बई, बैंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, अहमदाबाद, लखनऊ, गुवाहाटी में स्थित है। 2014 तक 25 शाखाएँ स्थापित करने की योजना है। इस बैंक की यह विशेषता है कि इस बैंक में सभी कर्मचारी महिलाएँ हैं। महिला बैंक के अतिरिक्त महिलाओं के लिए सस्ता ऋण लेकर कारोबार शुरू करने के लिए ''प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना'' इसी प्रकार महिलाओं के लिए रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि के लिए लागू की गई कौशल्या योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इत्यादि। भारत की अधिक से अधिक महिलाएँ आत्मनिर्भर बने, स्वयं का कार्य प्रारंभ करे इसी उद्देश्य से भारत के विविध सरकारी बैंक महिलाओं को निम्न ऋण सविधा का भी लाभ दे रहे हैं :–

विजया बैंक की 'वी' शक्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को स्वयं का कार्य शुरू करने के लिए ऋण देने की व्यवस्था की है जिसमें अधिकतम 5 लाख रूपये तक का ऋण बिना गारन्टर के देने का प्रावधान है। यह ऋण निम्न कार्य शुरू करने जैसे – आचार, मसाले, मोमबत्ती, पापड़ बनाने, टेलरिंग, कैटरिंग, ब्यूटी पार्लर, क्रैच, प्ले स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग, लाइब्रेरी, हस्तनिर्मित वस्तुओं, हैल्थ सैंटर, बेकरी, ट्रैवल एजेन्सी, मैडिकल दुकान, इत्यादि कार्यों के लिए महिलाओं के ऋण देने की व्यवस्था है।

वी मंगला

विजय बैंक से गृह ऋण लेने वाली महिलाओं को तथा गृह ऋण लेने वेाले पुरूषों की महिलाओं को चौपहिया, दुपहिया वाहन क्रय करने के लिए, आभूषण क्रय के लिये, महिलाओं को लगभग 3 लाख तक ऋण देने की व्यवस्था है। यह ऋण साधारण ऋण से 1 फीसदी कम ब्याज दर पर दिया जाता है तथा मुफ्त क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है।

एस.बी.आई. का स्त्री शक्ति पैकेज

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए 5 लाख तक ऋण देने की व्यवस्था है। महिलाओं को ऋण, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है जिसमें ब्याज दरों में 0.25 फीसदी की रियायत महिलाओं के लिए दी जाती है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-8* (Part-2) April- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

केनरा बैंक की केन महिला लोन स्कीम

18 से 55 आयु वर्ग की घरेलू, कामकाजी महिलाओं को घर का सामान, आभूषण, कम्प्यूटर आदि खरीदने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है।

बैंक ऑफ इंडिया की प्रियदर्शनी योजना

उद्योगों को बढ़ावा देने तथा महिलाओं को रोजगार से जोड़े रखने के उद्देश्य से महिलाओं को उद्योगों को शुरूआत करने के लिए बैंक 2 लाख तक का लोन कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाती है। जिससे महिला को बड़ा, छोटा या मध्यम आकार का उद्योग स्थापित कर स्वावलंबी बन सके।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स की महिला विकास योजना

यह बैंक 2 लाख से 10 लाख तक का लोन, सात वर्ष के लिए 2 फीसदी कम ब्याज दर पर दिया जाता है। 10 लाख से अधिक राशि के ऋण पर ब्याज दर में 1 फीसदी की छूट मिलती है।

सिंडिकेट बैंक 'सिंड महिला शक्ति'

देश में 20,000 महिला कारोबारियों को कम ब्याज दर पर 5 करोड़ तक के ऋण की सुविधा, छोटे, बड़े, मध्यम आकार के व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण के साथ क्रेडिट कार्ड, ग्लोबल डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, एस.एम.एस. बैंकिंग के साथ सिंड सुरक्षा इंश्योरेंस की सुविधा भी महिलाओं को दी जाती है।

पी.एन.बी. योजनाएँ

महिलाओं के लिए पंजाब नेशनल बैंक की महिला उद्यम निधि स्कीम, महिला समृद्धि योजना, कल्याणी कार्ड योजना इत्यादि महिला स्वावलम्बन के लिए बाँस से लेकर हवाई जहाज़ बनाने तक के लिए 5000 से लेकर 5 हजार करोड़ रूपये तक का ऋ़ण दिया जाता है। 5 से 25 हजार रूपये तक का लोन महिलाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय प्रयास है।

सरकार की मुद्रा योजना

यह योजना किसी भी बैंक में मिल जाती है। लघु उद्योग चलाने वाली महिलाओं को 50 हजार से 10 लाख रूपये तक का ऋण की व्यवस्था। इस ऋण के लिए डिप्लोमा, डिग्री की आवश्यकता नहीं है, न ही गारन्टर, केवल बारीकी से प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अध्ययन कर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसी प्रकार सरकारी योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ यह है जो महिलाओं को संबल प्रदान करती है। जैसे – 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना', 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'कस्तूरबा बालिका विद्यालय योजना', 'उज्जवला योजना' इत्यादि।

तीन तलाक की कुप्रथा का नाश

महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत के इतिहास में 9 करोड़ मुस्लिम महिलाओं के सम्मान में 1400 वर्ष की तीन तलाक की प्रथा पर रोक लगाकर महिलाओं के अपमान को तिलांजलि दी गई है। चीफ जस्टिस जे.एस. खेहर, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस जोसेफ, जस्टिस नरीमन, जस्टिस यू.यू. ललित भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 धर्मों के जजों ने 28 मिनट में यह फैसला सुनकर भारत को मुस्लिम महिलाओं के प्रति होने वाले अन्याय पर लगाम लगाई है। मुस्लिम महिलाओं के लिए यह लड़ाई 5 महिलाओं ने लड़ी है। इससे पहले मुस्लिम महिलाओं को खौफ में जिंदगी बसर करनी पड़ती थी कि न जाने कब उन्हें तलाक दे दिया जाए। ट्रिपल तलाक (तलाक–तलाक–तलाक) अर्थात् त्वरित ट्रिपल तलाक कहने से निकाह तोड़ देने की इस परम्परा को खारिज कर दिया गया है। महिलाओं की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से निजात दिलाने का कार्य वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है क्योंकि इस महिला विरोधी अपितु मानवता को कुचलने वाले कृत्य को धार्मिक ढ़ाल से बचाया जा रहा था, इस कुप्रथा को सामाजिक संरक्षण दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान–ए–पाक की तलाक संबंधी सूरा और आपत्ति का विस्तार से जिक्र किया है। एक–एक पंक्ति में समझाया है कि किस तरह कुरान महिलाओं को हक–ओ–हकूक और इज्जत का सबक देता है। सुन्नत–जो हदीस मे दर्ज़ पैगम्बर का आचरण है भी ऐसे आवेश में दिए तलाक को नहीं मानता और न ही 'इज़्मा' जो आम सहमति से बनी प्रथाओं का दस्तावेज है। महिला सशक्तिकरण के इस अद्भुत दृष्टान्त में मुस्लिम महिलाओं की पहल से ही यह मजबूत कदम उठाया गया है।

वर्तमान समय में आज विश्व में महिलाओं के समुचित विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनता जा रहा है। इसीलिए 21वीं शताब्दी की महिला शताब्दी के नाम से पुकारा जाने लगा है। विकसित या विकासशील कोई भी देश ही महिलाएँ पुरूषों के साथ कदम मिलाकर अपनी अन्तर्निहित क्षमता, आत्मविश्वास, साहस तथा दृढ़ निश्चय के साथ पुरूष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व के सबलीकरण हेतु अनवरत प्रत्यनशील है। वह अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ अपने अधिकारों के प्रति भी सचेत है।

हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राजाराम मोहन राय, आचार्य विनोबा भावे, ईश्वर चंद्र, व़िद्या सागर, स्वामी विवेकानन्द, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्री बाई फुले इत्यादि ने महिला उत्थान की दिशा में अविस्मरणीय सहयोग प्रदान कर समाज व देश का कल्याण किया। भारत में ईश्वर चंद्र विद्या सागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856) बनाया। यह कदम महिलाओं की स्थिति सुधारने में महत्वशाली था। इसी प्रकार अनेक कानूनी अधिनियम जैसे – अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, दहेज प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1961, एक समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट 1987, लिंग परीक्षण रोंकथाम अधिनियम 1994, लिंग परीक्षा 1994, बाल विवाह रोकथाम 2006, कार्यस्थल पर महिला शोषण रोकथाम अधिनियम 2013 इत्यादि के फलस्वरूप हमें अद्भुत विभूतियाँ प्राप्त हुई –

सर्वश्रेष्ठ बॉक्सर	–	मेरी कॉम
गोल्डन गर्ल	–	पी.टी. ऊषा
टेनिस खिलाड़ी	–	सानिया मिर्जा
बैडमिंटन खिलाड़ी	–	सायना नेहवाल
बहादुर हिरोइन ऑफ हाईजैक	–	नीरजा भनोट
भारत की बेटी	–	कल्पना चावला

गायन कोकिला	–	लता मंगेशकर
मिस वर्ल्ड	–	ऐश्वर्या रॉय

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय संस्कृति में देवी को अराध्य स्वीकार किया है परन्तु वास्तविक स्थिति अभी भी महिलाओं की बहुत अच्छी नहीं है। साक्षर परिवारों में जन्मी कन्याओं की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी है परन्तु निम्न निरक्षर परिवारों में कन्याओं की स्थिति शोचनीय है क्योंकि उनके पास जागरूकता के साधनों का अभाव है। प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में सहायक विविध साधनों पर प्रकाश डाला है, जिससे सभी महिलाएँ अपने प्रति जागरूक व सचेत हो कर देश के विकास में अमूल्य सहयोग दे सकें।

निष्कर्ष

आज यदि हम बात करें तो प्रत्येक क्षेत्र में महिला की उपस्थिति दर्ज है यथा – प्रथम डी.टी.सी. बस चालक महिला 'वी. सरिता' तेलंगाना की निवासी, वर्तमान में नई दिल्ली में सरोजनी नगर डिपो में तैनात है, प्रथम बस कण्डक्टर महिला – 'अवनीश जायसवाल', प्रथम ऑटो चालक महिला मुंबई की (ठाणे) 'अनामिका' सफर के दौरान यात्रियों को मुफ्त में वाई–फाई सुविधा भी प्रदान करवाती है। केवल आज वर्तमान में ही नहीं इससे पहले भी पहला प्राथमिक स्कूल खोलने वाली भगिनी निवेदिता, पहली महिला गवर्नर – सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला अध्यक्ष यू.एन.ए में विजय लक्ष्मी पं. प्रथम मुख्यमंत्री सुचेताकृपलानी, सुप्रीमकोर्ट की प्रथम महिला जज – 'फातिमा बीवी' और नोबेल पुरूस्कार विजेता तथा सम्पूर्ण जीवन मानव सेवा में अर्पित करने वाली विभूति 'मदर टेरेसा' जैसी महिला शायद ही किसी देश में जन्म ले। ऐसी महिलाएँ हमारा सिर गर्व से ऊँचा कर सभी महिलाओं को भी ऊँचाईयों के शिखर तक ले जाती है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यन्त ही व्यापक है जिसमें शक्ति का अधिग्रहण मात्र ही शामिल नहीं है अपितु महिलाओं में शक्ति के प्रयोग की क्षमता का भी उचित तरीके से विकास होना अति महत्वपूर्ण घटक है। उसमें आश्रित रहने की भावना को समाप्त कर, हीन भावना को दूर कर यथोचित विकास शामिल है जिसमें विविध उपकरण उसके सहयोगी बन गये हैं यथा – शिक्षा, मीडिया, कानून, सरकारी योजनाएँ इत्यादि। विभिन्न सहयोगी साधन महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना विशिष्ट योगदान प्रदान करते थे, करते हैं और निःसंदेह भविष्य में भी करते रहेंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

संस्कृत साहित्य का इतिहास, बलदेव उपाध्याय।

भारत में सामाजिक परिवर्तन, वी.पी. शर्मा (1999) पंचशील प्रकाशन, जयपुर।

नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, सम्पादक – साधना आर्य निवेदिता मेनन, जिनी लोकनीता, हिन्दी माध्यम निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, चतुर्थ संस्करण, अक्टूबर, 2013।

भारत में स्त्री असमानता एक विमर्श, गोपा जोशी, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिसम्बर, 2011।

मानवाधिकार उत्पत्ति, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, डॉ. आलोक कुमार मीणा, डॉ. मीनाक्षी मीणा वर्ष 2013, गौतम बुक कम्पनी, राजा पार्क, जयपुर।

भारतीय संस्कृति, डॉ. किरण टंडन, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली – 1994।

महिला और मानवाधिकार, एम.ए. अंसारी (2007), ज्योति प्रकाशन, जयपुर।

www.nmew.gov.in (Website)

www.sarkariyojna.co.in (Website)

दैनिक भास्कर समाचार पत्र, मुख पृष्ठ दिनांक 24.08.2017